फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादीगण शिवनीराम बनाम प्रतिवादीगण

रस्म प्रकरण : प्रा.पत्र. 251 क बनाम् [illegible]

मुकदमा नं.– 01 /2020 RR

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
13/7/21	वकुलाम उपस्थित। प्रा.पत्र U/S 251 क RTA का पेश मय बहस वकुलाम/ उपस्थित पक्षकारान [illegible] मिसल वास्ते आदेश पेश होवे। 27/7/21 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	[illegible]
27/7/21	वकुलाम उपस्थित समय अभाव के कारण निर्णय/ आदेश नहीं लिखा जा सका मिसल पेश होवे। 18/8/21 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	
18/8/21	वकुलाम उपस्थित प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल किया जाता है पत्रावली अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	

Scanned with CamScanner

.न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

पीठासीन अधिकारी – रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 01/2020

प्रार्थी :–

शिवजीराम पुत्र सांवतराराम
जाति–जाट, निवासी–पातेली, तहसील–ज़ायल जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. भंवरलाल पुत्र बालुराम
2. सुखाराम पुत्र बालुराम
3. बस्तीराम पुत्र बालुराम
4. नेमाराम पुत्र बालुराम
5. परमादेवी पत्नि शिवजीराम
   जातियान–जाट, निवासी–पातेली, तहसील–जायल जिला–नागौर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1. अधिवक्ता श्री एस.एस.कालवी प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार बिड़ीयासर, नाथुराम ईनाणियां अप्रार्थी सं. 01 से 04 की ओर से।
3. अधिवक्ता श्री इस्लामुदीन काजी अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से।
4. अप्रार्थी संख्या 6 स्वयं उपस्थित।

दिनांक : 18/08/2021

– : : आदेश : : –

1. प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी के खेताय मौजा पातेली तहसील–जायल में खसरा नं. 259 रकबा 3.3751 हैक्टैयर व खसरा नं. 258 रकबा 0.8822 हैक्टेयर के रूप में स्थित है, खसरा नं. 259 के चिपते ही उतर पश्चिम कौने पर खेत खसरा नं. 262 आया है, जमाबंदी के अनुसार उक्त की खातेदारी में 1/2 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम तथा 1/2 हिस्सा स्व. धायली के नाम है, जिसके कायम मुकाम (प्रार्थी के जानकारी से) अप्रार्थी सं. 1 से 4 के रूप में संयोजित किये गये है। प्रार्थी के खेत के ठीक उतर में अप्रार्थी

18/8/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

संख्या 1 खातेदारी का खेत खसरा नं. 266 तथा खसरा नं. 262 के उतरी में चिपता खसरा नं. 265 तथा उससे आगे 264 अप्रार्थी संख्या 5 की खातेदारी के खेत आये हुये है जो खसरा नं. 264 कटाणी रास्ता ग्राम पातेली से रूपाथल जाने वाले रास्ता (खसरा नं. 240) के लगता है।

प्रार्थी अपने इन खातेदारी के खेत खसरा नं. 258 व 259 में अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 264, 265 में से खसरा नं. 262 की पूर्वी माठ के अन्दर–2 चलते हुये पूर्व दिशा में घूम कर प्रवेश करता है तथा गाड़ी, छकड़ा ट्रेक्टर इत्यादि ले जाता है। इन खेतो में से आवागमन में प्रार्थी को किसी प्रकार की बाधा नहीं है। प्रार्थी ने पूर्व में एक प्रार्थना संख्या 61/2014 इसी रास्ते के संबंध में पेश किया जो कि अप्रार्थी सं. 5 को पक्षकार नहीं बनाये जाने तथा इन खेताय में रास्ते की मांग नहीं की जाने से तकनीकी आधार तथा इन खेताय में से अनुतोष नहीं मागें जाने पर तथा रास्ते की मांग मुख्य कटाणी मार्ग से नहीं किये जाने पर नया प्रार्थना पत्र पेश करने की इजाजत के साथ खारिज कर दिया। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र दुबारा पक्षकार बनाया जाकर पेश किया है, जिसे माफिक संलग्न नजरी नक्शा (अ–ब–स–द) प्रदर्शित किया गया है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी के खेत के लिए वैकल्पिक रास्ता नहीं लगता है तथा प्रार्थी के खेत के सबसे नजदीकी रास्ता यही होने से तथा प्रार्थी को प्रस्तावित/वांछित उक्त रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता है। प्रार्थी रास्ते हेतु उपभोग में आने वाली भूमि के लिए नियमानुसार देय प्रतिकर राशि भुगतान हेतु सहमत है। अतः प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री रामनारायण चौधरी, श्री नाथुराम ईनाणियां द्वारा वकालात नामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता ईस्लामुदीन काजी ने वकालातनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 6 तहसीलदार जायल को प्रकरण हाजा में मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई।

3. प्रकरण हाजा में न्यायालय आदेश की पालना में मौका रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक मार्फत तहसीलदार जायल जरिये पत्रांक : भू.अ./2020/1198 दिनांक 08.06.2020 के प्राप्त हुई, जो शामिल मिशल है। तहसीलदार जायल ने मौका रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रार्थी के खेत में जाने का वैकल्पिक रास्ता मौजूद था,

सहायक कलक्टर (उप.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

परन्तु खसरा नं. 262 में खाई व डोल लगाकर बंद कर दिया गया है। जिससे प्रार्थी के खेत में आना–जाना मुश्किल है, पूर्व में इसी वैकल्पिक रास्ता से अपने खेत में आना जाना करते थे। खसरा नं. 264 व 265 में से वैकल्पिक रास्ता चालू है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता सबसे नजदीक दूरी का है। रास्ते हेतु वांछित/प्रस्तावित भूमि पर कोई कच्चा/पक्का निर्माण किया हुआ नहीं है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता 12 फीट की चौड़ाई में तथा खसरा नं. 264 बिन्दू संख्या ए से बी तक की दूरी 215 फुट व खसरा नं. 265 बिन्दू संख्या बी से सी तक की दूरी 280 फुट तथा सी से डी तक की दूरी 488 फुट, खसरा नं. 262 बिन्दू डी से ई तक की दूरी 117 फुट लम्बाई में है। इसके लिए खसरा नं. 264 में से 2580 वर्गफुट, खसरा नं. 265 में से 9216 वर्गफुट तथा खसरा नं. 262 में से 1404 वगफुट कुल 13200 वर्गफुट भूमि उपभोग में आयेगी। प्रस्तावित रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. दर 17767/– रू. प्रति बीघा है।

4. हस्तगत प्रार्थना पत्र के संबंध में अप्रार्थी संख्या 2 व 4 ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र में वर्णित पैराज एवं तथ्य बनावटी, व गलत होना बताया तथा अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी के खेत खसरा नं. 258 में प्रार्थी की रहवासी ढाणी है, जो खसरा नं. 259 के चिपता स्थित है, जिसमें जाने का रास्ता खसरा नं. 271/281 के पश्चिम दिशा में ग्राम खेड़ा नारनोलिया की सरहद व काकड़ माठ पर 26 फीट चौड़ाई में रास्ता मौजूद है, जहां से ट्रक चाईना क्ले ले जाती है जो उस क्षेत्र में खानो से निकलता है, खसरा नं. 258 के चिपते खसरा नं. 271/281 में खेत मालिक की रहवासी ढाणी/कार्यालय मौजूद है। पूर्व में रास्ता खसरा नं. 264 से चलकर खसरा नं. 262 की पूर्वी माठ से होकर खसरा नं. 259 (प्रार्थी के खेत) तक चलता था, परन्तु प्रार्थी ने उक्त रास्ता बंद करने के बाद प्रार्थी ने अदालत हाजा में धारा251क के तहत प्रार्थना पत्र 61/204 शिवजी बनाम भंवरलाल पेश करने के बाद खारिज करवा लिया।

इसी प्रकार खसरा नं. 271/281 के दक्षिण में रास्ता 20 फुट के बाद में मौजा खेड़ा नारनोलिया की सीमा/माठ लगती है। जिसमें खसरा नं. 272/15 की खातेदारी जानाराम जाट व बलविन्द्रसिंह की ऑफिस व घर मौजूद है, मौका रिपोर्ट इस सत्यता को छिपाते हुये रिपोर्ट प्रार्थी के पक्ष में तैयार की जाना प्रतीत होता है। मौके पर खसरा नं. 271/281 के दक्षिण में चलने वाला रास्ता काकड़ माठ पर मौजूद है जिसे आपत्ति के साथ रास्ता मार्क एच–आई व जी–एच प्रदर्शित से बताया गया है। इसी प्रकार नक्शा पटवारी हल्का से जारी नक्शा नं. 1903/11.08.2020 माफिक मौजूद है, जिसे मौका

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

रिपोर्ट में छिपाया गया है। इसलिए प्रकरण में निम्न बिन्दूओं की स्थिति को मौका रिपोर्ट में छुपाया गया है।

1. क्या प्रार्थी के खातेदारी की भूमि के दक्षिण में रास्ता का भाग जी–एच मौजूद है?
2. क्या प्रार्थी के खेत खसरा नं. 258 के दक्षिण में रास्ता मार्क एच–आई 20 फीट चौड़ा चालू है तथा खसरा नं. 272/15 जानाराम व बलविन्द्रसिंह की रहवासी मकान, ढाणियों के आने जाने का रास्ता मार्क एच–आई मौजूद है?
3. क्या प्रार्थी के खेत खसरा नं. 258 व 259 में जाने का रास्ता मार्क जी–एच सबसे कम दूरी का व सुविधाजनक नहीं है?
4. क्या रास्ता मार्क एच–आई मौके पर 20 फुट चौड़ा नहीं है?
5. क्या पूर्व प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र संख्या 61/2014 अनवान शिवजीराम बनाम भंवरलाल पेश करने का तथ्य,व सत्यता को छुपाते हुये पेश किया है?
6. क्या पूर्व में विकल्प में रास्ता जी–के कम दूरी का है?

इसलिए उपरोक्त बिन्दूओं पर मौका रिपोर्ट पुनः प्रार्थी के खर्च पर मंगवाये जाने का निवेदन वकील अप्रार्थीगण ने जवाब/आपत्ति प्रार्थना पत्र में अभिकथन किया।

चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के तहत दर्ज प्रकरण सम्मरी प्रोसेडिंग के तहत आते है तथा इनका निर्धारित समय सीमा अर्थात 90 दिवस में संबंधित पक्षकारान को सुनकर/सूचित किया जाकर निस्तारण किये जाने का प्रावधान है। वकील प्रार्थी ने जवाब नही देकर सीधी बहस हेतु निवेदन करने पर बहस सुनवाई के बाद वकील अप्रार्थी द्वारा जाहिर की गई आपत्तिया स्वीकार योग्य नहीं पाई जाने से खारिज की गई। तथा पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम सुनवाई हेतु नियत की गई।

प्रकरण के बहस अन्तिम में विचाराधीन रहते अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री रामनारायण का देहान्त हो जाने पर प्रकरण में अप्रार्थी पक्ष की पैरवी हेतु पुनः तलबी में नियत किया गया तथा पक्षकारान् को जरिये इत्तला सम्मन तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार बिड़ीयासर तथा श्री नाथूराम ईनाणियां ने वकालात नामा पेश किया तथा पूर्ववर्ती जवाब/प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त जवाब पेश नहीं किये जाने का निवेदन किया। जिस पर जवाब/आपत्ति का अवसर बंद किया जाकर प्रकरण पुनः मजीद बहस हेतु नियत किया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

5. दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित पैराज का पुनः दोहरान करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी के खेताय मौजा पातेली तहसील–जायल में खसरा नं. 259 रकबा 3.3751 हैक्टैयर व खसरा नं. 258 रकबा 0.8822 हैक्टेयर के रूप में स्थित है, खसरा नं. 259 के चिपते ही उतर पश्चिम कौने पर खेत खसरा नं. 262 आया है, जिनके खातेदार काश्तकार अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के रूप में संयोजित है। प्रार्थी के खेत के ठीक उतर में अप्रार्थी संख्या 1 खातेदारी का खेत खसरा नं. 266 तथा खसरा नं. 262 के उतरी में चिपता खसरा नं. 265 तथा उससे आगे 264 अप्रार्थी संख्या 5 का खेत आये हुये है जो खसरा नं. 264 कटाणी रास्ता ग्राम पातेली से रूपाथल जाने वाले रास्ता (खसरा नं. 240) के लगता है।

प्रार्थी अपने इन खातेदारी के खेत खसरा नं. 258 व 259 में अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 264, 265 में से खसरा नं. 262 की पूर्वी माठ के अन्दर–2 चलते हुये पूर्व दिशा में घूम कर गाड़ी, छकड़ा ट्रेक्टर इत्यादि ले जाता है। प्रार्थी ने पूर्व में एक प्रार्थना संख्या इसी रास्ते के संबंध में पेश किया जो कि अप्रार्थी सं. 5 को पक्षकार नहीं बनाये जाने प्रस्तावित खेताय में से रास्ते की मांग नहीं की जाने से तकनीकी आधार तथा रास्ते की मांग मुख्य कटाणी मार्ग से नहीं किये जाने पर नया प्रार्थना पत्र पेश करने की इजाजत के साथ खारिज कर किया था।

इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र दुबारा पक्षकार बनाया जाकर पेश किया है, जिसे माफिक संलग्न नजरी नक्शा (अ–ब–स–द) प्रदर्शित किया गया है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी के खेत के लिए वैकल्पिक रास्ता नहीं लगता है तथा प्रार्थी के खेत के सबसे नजदीकी रास्ता यही होने से तथा प्रार्थी को प्रस्तावित/वांछित उक्त रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता है। प्रार्थी रास्ते हेतु उपभोग में आने वाली भूमि के लिए नियमानुसार देय प्रतिकर राशि भुगतान हेतु सहमत है।

6. बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण संख्या 2 व 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का पुर्नदोहरान किया तथा प्रार्थी पक्ष की ओर से दी गई दलीलों का खण्डन करते हुये प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया जाना तथा मिथ्या एवं आधारहीन, सारहीन होना बताया। प्रार्थी के खेत खसरा नं. 258 में प्रार्थी की रहवासी ढाणी है, जो खसरा नं. 259 के चिपता स्थित है, जिसमें जाने का रास्ता खसरा नं. 278/281 के पश्चिम दिशा में ग्राम खेड़ा नारनोलिया की

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

सरहद व काकड़ माठ पर 26 फीट चौड़ाई में रास्ता मौजूद है, जहां से ट्रक चाईना क्ले ले जाती है जो उस क्षेत्र में खानो से निकलता है, खसरा नं. 258 के चिपते खसरा नं. 271/281 में खेत मालिक की रहवासी ढाणी/कार्यालय मौजूद है। पूर्व में रास्ता खसरा नं. 264 से चलकर खसरा नं. 262 की पूर्वी माठ से होकर खसरा नं. 259 (प्रार्थी के खेत) तक चलता था। इसी प्रकार खसरा नं. 271/281 के दक्षिण में रास्ता 20 फुट के बाद में मौजा खेड़ा नारनोलिया की सीमा/माठ लगती है। जिसमें खसरा नं. 272/15 की खातेदारी जानाराम जाट व बलविन्द्रसिंह की ऑफिस व घर मौजूद है, इस सत्यता को छिपाते हुये रिपोर्ट प्रार्थी के पक्ष में तैयार की गई है। मौके पर खसरा नं. 271/281 के दक्षिण में चलने वाला रास्ता काकड़ माठ पर मौजूद है जिसे आपत्ति के साथ रास्ता मार्क एच–आई व जी–एच प्रदर्शित है, जिसे पटवारी हल्का से जारी नक्शा पी–1903 दिनांक 11.08.2020 मौका रिपोर्ट में छिपाया गया है। किसी भी खातेदार की भूमि में से काश्तकार को अपने खेत में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने तथा रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता होने पर ही काश्तकारी अधिनियम की धारा 251क के तहत रास्ता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है परन्तु प्रार्थी स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है अनावश्यक रूप से अप्रार्थी को तंग व परेशान कर रास्ता निकालने पर आमादा है यदि ऐसा हो जाता है तो प्रार्थी अपने मंसूबो पर सफल होगा जो कानून की मंशा के विपरित होगा। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

7. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् राजस्व रिकॉर्ड, मौका रिपोर्ट तहसीलदार जायल का अवलोकन किया गया साथ ही वकुंलाय द्वारा पक्षकारान की ओर से पैरवी करते हुये दी गई दलीलों एवं बहस पर गहनतापूर्वक मनन किया गया। अप्रार्थी की ने प्रार्थना पत्र के जवाब में आपत्ति की है कि प्रार्थी के खेताय में आने जाने के लिए 258, 259 में आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। तथा निकटतम रास्ता खसरा नं. 262, 265, 264 में से सींव की माठ के सहारे होते हुये मार्क ए–बी–सी–डी–ई प्रस्तावित किया गया है जो मुख्य सड़क कटाणी रास्ता ग्राम पातेली से रूपाथल वाली सड़क खसरा नं. 240 से लगता है। उक्त प्रस्तावित रास्ता के अलावा मौका रिपोर्ट में दर्शाये नजरी नक्शानुसार कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा सबसे निकटतम दूरी का रास्ता भी यही बताया गया है, साथ ही मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते पर किसी प्रकार निर्माण कार्य भी नही होने का अंकन भी है।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

वकील अप्रार्थीगण का कहना है कि प्रार्थी के खातेदारी खेत में आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ता खसरा नं. 271/281 के पश्चिम दिशा में ग्राम खेड़ा नारनोलिया की सरहद व काकड़ माठ पर 26 फीट चौड़ाई में रास्ता मौजूद है, जो उस क्षेत्र में खानो से निकलता है, खसरा नं. 258 के चिपते खसरा नं. 271/281 में खेत मालिक की रहवासी ढाणी/कार्यालय मौजूद है। पूर्व में रास्ता खसरा नं. 264 से चलकर खसरा नं. 262 की पूर्वी माठ से होकर खसरा नं. 259 (प्रार्थी के खेत) तक चलता था तथा प्रार्थी का आवागमन भी उसी खसरे की भूमि में से होता रहा है। जबकि मौका रिपोर्ट में ऐसा कोई भी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होना नहीं बताया गया है। अप्रार्थी ने स्वयं स्वीकार किया है कि उक्त रास्ता कटाणी नही है कांकड माठ की ऑवरलेप वाली 8 फीट जगह है उसमें से आवागमन चल रहा है, जिसकी ताईद में वकील अप्रार्थी ने कोई साक्ष्य सबूतादि पेश नही किया है।

यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि इसी खसरान का एक प्रार्थना पत्र धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संख्या 28/2020 अनुवान बस्तीराम बनाम परमादेवी अप्रार्थी बस्तीराम ने पेश किया गया है वो रास्ता खसरा नं. 264, 265 के मध्य में से खसरान की भूमि को 2 भाग में विभक्त करते हुये प्रस्तावित किया है, साथ ही पूर्व में यह रास्ता चलता था लेकिन खाई डोला देकर बंद कर दिया है। ऐसी स्थिति में वकील अप्रार्थी द्वारा जाहिर की गई आपत्तिया सारहीन, काल्पनिक एवं महत्वहीन होने से स्वीकार करने योग्य प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के खेत खसरा नं. 259 के मौजा–पातेली तहसील–जायल में आवागमन के लिए मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित नक्शे अनुसार कृषि कार्य एवं कृषि संसाधनों को लाने व ले जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने तथा प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत के लिए रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता तथा रास्ते का अभाव प्रकरण में सिद्ध पाया जाता है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क आर.टी.एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : :–

यत् प्रार्थी का प्रार्थना अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् ग्राम पातेली तहसील जायल के खसरा नं. 259 में आवागमन के लिए अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नं. 262, 264, 265 में से रास्ता माफिक मौका रिपोर्ट तहसीलदार जायल नजरी नक्शा में लाल स्याही के अंकन से दर्शाये मार्क ए–बी–सी–डी–ई अनुसार 12 फीट चौड़ाई में माफिक तकमीना अनुसार स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में प्राप्त भू.अ. निरीक्षक मौका रिपोर्ट

सहायक कलक्टर जायल (एस.डी.ओ.)

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

दिनांक 08.06.2021 मार्फत तहसीलदार जायल इस आदेश का अभिन्न भाग रहेगी। तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपभोग में आने वाली भूमि के ऐवज में नियमानुसार देय डी.एल.सी. दर के अनुसार प्रतिकर राशि का भुगतान करने की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

माफिक आदेश बाद अपील मियाद् के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तदनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18/8/2021 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.), जायल

18/8/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर
एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

Scanned with CamScanner